बाल-विवाह के मामलों से निपटने हेतु पुलिस के लिए मुख्य बिंदु

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

बाल-विवाह के मामलों से निपटने हेतु पुलिस के लिए मुख्य बिंदु

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

सत्यार्थी ग्लोबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रेन
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन

कॉपीराइट © 2021, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। सर्वाधिकार सुरक्षित।

कॉपीराइट स्वामी की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन का कोई भी भाग पुन: प्रस्तुत या प्रसारित नहीं किया जा सकता है। उल्लंघन होने पर किसी सूचना के बिना कानूनी कार्रवाई और अभियोजन किया जा सकता है।

अस्वीकरण: कॉपीराइट स्वामी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित देखभाल और प्रयास किए हैं कि यहां प्रस्तुत विधायी प्रावधान सटीक और अद्यतित हो। लेकिन इस पर आधारित सलाह, कार्रवाई या निष्क्रियता के लिए कॉपीराइट स्वामी किसी भी अशुद्धि या चूक के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इस मॉड्यूल के उपयोग से होने वाली किसी भी प्रत्यक्ष या परिणामी आकस्मिक क्षति के लिए, कॉपीराइट स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा'

भूमिका

बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा है, जो हमारी संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाओं में बहुत गहरे धंसी हुई है। समय के साथ यह समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है| प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार:

- 20-24 वर्ष की आयु वर्ग की 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी गई थी (NFHS-5, 2019-2021)
- 45 लाख लड़कियां की शादी 15 वर्ष की आयु से पहले हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे (जनगणना 2011)
- देश भर में 2021 में बाल विवाह के 1050 मामले दर्ज किए गए (क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, 2021)

बाल विवाह की इतनी कम संख्या में रिपोर्टिंग से एक बात तो निश्चित है कि इसे पूरी तरह से स्वीकार लिया गया है और इसी कारण इसकी रिपोर्टिंग इतनी कम होती है।

1. भारत में बाल विवाह की समस्या को हल करने के लिए कानूनी संरचना

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए, 2006)
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे संशोधन, 2015)
- लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम, 2012)

2. बाल विवाह से संबंधित कानूनों की मुख्य बातें

2.1. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

- "बच्चे" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसने, यदि पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि महिला है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है [धारा 2 (ए)
- "बाल विवाह" का अर्थ ऐसे विवाह से है, जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से एक कोई बच्चा है [धारा 2 (ब)]
- विवाह के संबंध में "अनुबंध पक्ष", से तात्पर्य ऐसे किसी पक्ष से है, जिसका या तो विवाह हो चुका है या फिर होने वाला है [धारा -2 (सी)]
- यह देश और जाति से परे हर नागरिक पर लागू होता है [धारा 2 (1)]
- यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है (धारा -15)
- किसी भी बाल विवाह को, जो हो चुका है, न्यायालय के हुक्म से द्वारा रद्द किया जा सकता है
- वह बच्चे जिनका बाल विवाह हुआ है, वह बालिग होने के दो वर्ष के भीतर (महिलाओं के लिए 20 वर्ष और पुरुष के लिए 23 वर्ष) जिला न्यायालय में याचिका दायर करके बाल विवाह को रद्द कर सकते हैं (धारा -3)
- यदि याचिकाकर्ता नाबालिग है तो उसके माता-पिता या अभिभावक या बाल विवाह निषेध अधिकारी (एसएमपीओ) द्वारा याचिका को दायर किया जा सकता है।

- कुछ परिस्थितियों में किसी नाबालिग बच्चे के विवाह का शून्य होना: जहां कोई बच्चा, जो नाबालिग है, विवाह के उद्देश्य के लिए:
- कानूनी अभिभावक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है: या
- किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक मजबूर किया जाता है या छल-कपट से उसे दूर ले जाया जाता है; या
- विवाह के उद्देश्य से बेचा गया हो; या किसी और रूप में उसका विवाह कराया जाता है या यदि नाबालिग की शादी की गयी है, जिसके बाद उसे बेचा गया है या फिर दुर्व्यापार किया गया है या गलत उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वहाँ ऐसा विवाह शून्य होगा
- बाल विवाह होने की सूचना पर, या उसे कराए जाने पर, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत बाल विवाह को पूरा होने से रोकने के लिए आदेश जारी कर सकती है(धारा-13)
- यदि इस आदेश का उल्लंघन करके कोई भी बालविवाह होता है तो वह आरम्भ से ही अवैध होगा (धारा-14)
- प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत भी किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर खुद संज्ञान ले सकती है [धारा -13 (3)]

- अक्षय तृतीया जैसे विशेष दिनों में, जब सामूहिक बाल विवाह संपन्न होते हैं, तो ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट के पास (डीएम) बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) की शक्ति होती है [धारा-13 (4)]

2.2 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021

- जिस बच्चे की शादी की उम्र पूरी होने से पहले ही उसे शादी होने का खतरा हो और जिसके माता-पिता, परिवार के सदस्य, अभिभावक और परिवार के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा उसका बाल विवाह किए जाने की आशंका होती है तो उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में माना जाता है [धारा - 2(14)(xii)]
- किसी बच्चे को शादी में देना क्रूरता मानी जाती है (R-55)

2.3 लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

- पॉक्सो अधिनियम का अन्य कानूनों पर व्यापक प्रभाव है। इसलिए, बाल विवाह में पीसीएमए, 2006 के साथ ही पॉक्सो अधिनियम, 2012 की अन्य धाराएँ भी लागू होंगी (पॉक्सो धारा -42A)
- पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 5 (n) में कहा गया है कि जिस किसी का बालक से खून का रिश्ता है या बच्चा गोद लिया हुआ है या उसका संरक्षक है या पालक देखभाल करने वाला नातेदार है, या बच्चे के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुये बच्चे के साथ एक ही घर में रह रहा है और

बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो इसे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट) कहा जाएगा

- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 [5] से महिलाओं की सुरक्षा के अनुसार "साझा गृहस्थी" का अर्थ है एक ऐसा गृहस्थी जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी स्तर पर या तो अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहता है और इसमें ऐसी गृहस्थी शामिल है जो पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी ने मिलकर ली है या उनमें से किसी एक की है या किराये पर ली गई है जिसके संबंध में या तो पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी या दोनों के पास संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, शीर्षक, हित या इक्विटी है और इसमें ऐसा घर शामिल है जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसके प्रतिवादी एक सदस्य है, भले ही प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का साझा घर में कोई अधिकार, शीर्षक या हित हो।"
- इसके अलावा, दिनांक 11 अक्टूबर 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2013 के डब्ल्यूपी (सिविल) 382 ऑफ 2013 इंडिपेंडेंट थॉट बनाम केंद्र सरकार एवं अन्य में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को पढ़ा गया था जो बलात्कार से संबंधित है और इस रूप में पढ़ा गया था एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ जो 18 वर्ष की है, संभोग या यौन क्रिया बलात्कार नहीं है। इस अपवाद को हटा दिया जाए तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन क्रिया, चाहे विवाह के दायरे में हो या नहीं हो, वह बलात्कार ही है। इसलिए बाल विवाह के मामलों में पॉक्सो लागू होगा।

3. अपराध एवं दंड

धारा	अपराध	दंड
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006		
धारा 9	यदि 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष नाबालिग बच्चे से विवाह करते हैं तो उनके लिए सजा	2 वर्ष तक की जेल या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों
धारा 10	बाल विवाह कराने के लिए सजा	कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा
धारा 11	बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए सजा	कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। किसी भी महिला को जेल भेजने की सजा नहीं दी जाएगी

धारा 13 (10)	न्यायालय द्वारा जारी किसी भी निषेधाज्ञा (Injunction) आदेश का उल्लंघन करते हुए बाल विवाह करना	कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा किसी भी महिला को जेल भेजने की सजा नहीं दी जाएगी
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015		
धारा 75	बच्चे के प्रति क्रूरता	3 वर्ष तक की जेल या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों
धारा 81	किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चे की खरीद फरोख्त करना	5 वर्ष तक की जेल या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना यदि किसी अस्पताल या नर्सिंग होम या प्रसूति गृह (मैटरनिटी होम) के कर्मी ने यह किया है तो 3 से 7 वर्ष तक की सजा

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012		
धारा 3	प्रवेशन लैंगिक हमला (पेनेट्रेटिव सेक्सुल असॉल्ट)	न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना यदि 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा
धारा 5	गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला (एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुल असॉल्ट)	न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड या मृत्युदंड|
धारा 7	लैंगिक हमला	3-5 वर्ष तक के कारावास की सज़ा और साथ ही जुर्माना
धारा 9	गुरुतर लैंगिक हमला	5-7 वर्ष तक के कारावास की सज़ा और साथ ही जुर्माना
भारतीय दंड संहिता, 1860		
धारा 370	व्यक्तियों का दुर्व्यापार	7 वर्ष से 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माना

धारा 375	बलात्कर	10 वर्ष की जेल से लेकर उम्रकैद और जुर्माना
धारा 376 (3)	16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार	20 वर्ष की जेल से लेकर उम्रकैद और जुर्माना
धारा 376 AB	12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार	20 वर्ष की जेल से लेकर उम्रकैद और जुर्माना या मृत्युदंड

4. पुलिस की भूमिका

- एफआईआर दर्ज की जाए और जानकारी प्राप्त होने पर बाल विवाह को हर संभव रोका जाए क्योंकि यह पीसीएमए के तहत एक संज्ञेय अपराध है
- बच्चे को गिरफ्तार न किया जाए
- जब भी बच्चे के साथ बातचीत हो तो जहां तक संभव हो, पुलिस सादे कपड़ों में रहे और बच्चे के साथ बातचीत करते समय बच्चों के अनुकूल व्यवहार करे
- बच्चे को मुक्त कराया जाए और बच्चे को 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया जाए या जहां सीडब्ल्यूसी नहीं है, वहां पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने बच्चे को पेशकिया जाए
- निषेधाज्ञा (Injuction) पाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officers) को सूचित किया जाए
- बाल विवाह को रोकने में महिला पुलिस अधिकारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। कोई भी पुरुष पुलिस अधिकारी एक बच्चे से अकेले में केवल तभी बात कर सकता है जब महिला पुलिस अधिकारी वहाँ नहीं है और ऐसा भी वह एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में करेगा
- विवाह संपन्न कराने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं

- इस मामले की जाँच मानव दुर्व्यापार और यौन शोषण के कोण से भी जांच की जाए
- एफआईआर में, उस समय लागू कानूनों की उन सभी धाराओं को सामिल किया जाए, जैसा कि ऊपर बताया गया है
- यदि यह पाया जाता है कि बच्चे को विवाह के उद्देश्य से बेचा गया है तो किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) की धारा 75 लागू की जाए

Notes

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन
ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग

पंजीकृत कार्यालय: एल-6, 3 फ्लोर, कालकाजी नई दिल्ली 110019
फोन न. : 011-47511111 | **ई-मेल:** info@satyarthi.org

किसी भी प्रकार के बाल शोषण की स्थिति में कृपया संपर्क करें
1800-102-7222